



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक संवत्) [संख्या 30

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	415—420	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	809—824	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	51—58	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1173—1201	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	459—460	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

तैनाती

10 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 I/767721/2024—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत चयन वर्ष 2023-24 हेतु एलोपैथिक विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, ग्रेड-2 (स्तर-2) स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर चयनित डा0 विदुषी पवार, नवनियुक्त चिकित्साधिकारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2273/चि0-3-2024, दिनांक 30 अगस्त, 2024 द्वारा 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय सिरौली, गौसपुर जनपद बाराबंकी में तैनाती प्रदान करते हुए योगदान आख्या अपने तैनाती स्थल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

2— सम्यक् विचारोपरान्त डा0 विदुषी पवार का तैनाती स्थल परिवर्तित करते हुए नवीन तैनाती स्थल वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय जनपद लखनऊ में तैनात किया जाता है।

3— डा0 विदुषी पवार को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-5

नियुक्ति/तैनाती

10 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 I/792543/2024—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा दन्त शल्यक के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्रीमती मनीषा लाल पुत्री श्री कन्हैया लाल, रजिस्ट्रेशन सं0-54800265437 को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में दन्त शल्यक (लेवल-01) के पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में मौलिक रूप से औपबन्धिक/सशर्त नियुक्त करते हुए, जनपद लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित दन्त शल्यक को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा नियमावली-1979 (यथा संशोधित) के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित दन्त शल्यक को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3— सम्बन्धित दन्त शल्यक को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई-भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे, उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली-1983 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-5-2003-7(55)/97/दिनांक 01 फरवरी 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-5-2003-7(55)/97 टीसी दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी-भत्ता देय होगा।

4— सम्बन्धित दन्त शल्यक कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। यदि निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में अपने योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

5— अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती स्थान पर योगदान दिये जाने की तिथि से मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा 02 वर्ष की अवधि तक इनका क्रमशः अन्तरार्जनपदीय एवं अन्तर-जनपदीय स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। इन 02 वर्षों के अन्तराल में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा ही इनका स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

6— सम्बन्धित अभ्यर्थी को नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

2— सम्बन्धित दन्त शल्यक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे—

1— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्णरूप से परिचित हो परन्तु उनके सम्बन्धी न हो अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में।

2— अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।

3— उ0प्र0 मेडिकल कौन्सिल द्वारा दिये गये रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3— उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में उक्त दन्त शल्यक की ज्येष्ठता समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 I/792544/2024—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा दन्त शल्यक के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री नेहिल सरन पुत्री रामसरन, रजिस्ट्रेशन सं0-54800211083 को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में दन्त शल्यक (लेवल-01) के पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में मौलिक रूप से औपबन्धिक/सशर्त नियुक्त करते हुए, जनपद फर्रुखाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित दन्त शल्यक को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा नियमावली-1979 (यथा संशोधित) के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

2— तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दन्त शल्यक को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3— सम्बन्धित दन्त शल्यक को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे, उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली-1983 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-5-2003-7(55)/97/दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-5-2003-7(55)/97टीसी दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

4— सम्बन्धित दन्त शल्यक कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। यदि निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में अपने योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

5— अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती स्थान पर योगदान दिये जाने की तिथि से मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मंडलीय अपर निदेशक द्वारा 02 वर्ष की अवधि तक इनका क्रमशः अन्तरा-जनपदीय एवं अन्तर-जनपदीय स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। इन 02 वर्षों के अन्तराल में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा ही इनका स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

6— सम्बन्धित अभ्यर्थी को नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

2— सम्बन्धित दन्त शल्यक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे—

1— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्णरूप से परिचित हो परन्तु उनके सम्बन्धी न हो अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में।

2— अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र।

- 3— उ०प्र० मेडिकल कौन्सिल द्वारा दिये गये रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
- 4— ओथ आफ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
- 5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- 6— चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 7— एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3— उ०प्र० दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में उक्त दन्त शल्यक की ज्येष्ठता समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
रंजन कुमार,
सचिव।

अनुभाग-2

प्रोन्नति/तैनाती

01 जनवरी, 2025 ई०

सं० I/839283/2025—तात्कालिक प्रभाव से प्रदेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000/- ग्रेड पे-8,900/- पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के चिकित्साधिकारी डा० पुष्पा पंत (वरि०क्र०-7627), अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली को निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000/- ग्रेड पे-10,000/- पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14) के रिक्त पद के सापेक्ष उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही प्रोन्नत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— डा० पुष्पा पंत की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव।

13 फरवरी, 2025 ई०

सं० I/879552/2025—तात्कालिक प्रभाव से प्रदेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400-67,000/- ग्रेड पे-8,900/- पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के चिकित्साधिकारी डॉ० कविता आर्या (वरि०क्र०-7633), अपर निदेशक (नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ

को निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु0 37,400-67,000/- ग्रेड पे-10,000/- पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14) के रिक्त पद के सापेक्ष उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही प्रोन्नत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— डॉ0 कविता आर्या की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/879563/2025—उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड, वेतनमान रु0 37,400-67,000/- ग्रेड पे-8,700/- यथासंशोधित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को लेवल-5 (अपर निदेशक ग्रेड, वेतनमान रु0 37,400-67,000/- ग्रेड पे-8,900/- यथासंशोधित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) के रिक्त पदों पर प्रोन्नत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	डॉ0 बृजेश कुमार	9136क
2	डॉ0 विजय कुमार सिंह	9140
3	डॉ0 संजय कुमार	9149

2— उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र सिंह सचान,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

13 फरवरी, 2024 ई०

सं० 1566(4)/डी०एल०आर०सी०-उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली के ग्राम अरनी परगना गंगीरी में 1.6 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ सॉकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को हस्तान्तरित करता हूँ। भूमि के सॉकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुर्नग्रहित भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	अतरौली	गंगीरी	अरनी	10	1.751	6-4 जो अन्य	1.6 मेगावाट सोलर
					11	0.162	कारणों से	पावर प्लांट के निर्माण
					1	3.630	अकृषित हो	हेतु अतिरिक्त ऊर्जा
						में से	ऊसर भूमि	स्रोत विभाग, उ०प्र०
						0.782		शासन के निवर्तन पर।
योग.						2.695		

16 फरवरी, 2024 ई०

सं० 1567(4)/डी०एल०आर०सी०-उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम पनैठी परगना कोल में 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान, पनैठी के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ सौंकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० को हस्तान्तरित करता हूँ। भूमि के सौंकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	कोल	कोल	पनैठी	56	0.5650	6-4 ऊसर भूमि	33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान, पनैठी के निर्माण हेतु। ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर।

सं0 1568(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली में गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	अतरौली	अतरौली	बलीपुर	2	1.309 में से 1.00	5-1 नवीन परती	गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1569(4)/ डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली में गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	अतरौली	अतरौली	गनियावली	31/4	5.197 में से 1.00	6-4 ऊसर	गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

21 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1576(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल में गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	कोल	कोल	दिहौली	267	1.327 में से 1.00	6-4 ऊसर	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1577(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	गभाना	बरौली	माधौगढ़	310	1.00	6-4 ऊसर	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

22 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1578(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल में प्लैटिड फैक्ट्री कार्यशाला की स्थापना हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति सी०एच०-41/45 के अनुसार	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	कोल	कोल	मिर्जापुर सिया	174	1.234	ऊसर	प्लैटिड फैक्ट्री कार्यशाला की स्थापना हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर।

26 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1585(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल में गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	कोल	अकराबाद	बरा	22	1.395 में से 1.150	6-4 ऊसर	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर।

31 मई, 2024 ई०

सं० 1657(4)/डी०एल०आर०सी०—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील खैर में थाना खैर की पुलिस चौकी सोफल के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	खैर	खैर	सुजानपुर	310मि०	0.103	6-4 ऊसर	थाना खैर की पुलिस चौकी खैर के निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर।

सं0 1659(5)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील गभाना के ग्राम ख्यामई परगना खैर में निम्नांकित भूमि को उत्तर प्रदेश शासन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष सांकेतिक मूल्य/किराया पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर को हस्तान्तरित करता हूँ। पुर्नग्रहित भूमि का वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण / प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	गभाना	खैर	ख्यामई	314	0.410	6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो ऊसर भूमि	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन 30 वर्ष के लिए लीज पर
					315	1.751		
					316	0.138		
					325	6.070		
					327	0.710		
योग .						9.079		

09 अगस्त, 2024 ई0

सं0 1711(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील कोल में जिला/मण्डलीय कार्यालय होमगाड़स, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस/होमगाड़स) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	कोल	कोल	सहारनपुर	200मि० 206	0.444 0.057	6-4 ऊसर	जिला/मण्डलीय कार्यालय होमगार्ड्स, अलीगढ़ के निर्माण हेतु। होमगार्ड विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर।
योग.						0.501		

20 अगस्त, 2024 ई०

सं० 1719(5)/डी०एल०आर०सी०-उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील कोल में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	कोल	लोधा	लोधा	736मि०	0.350	6-2 अकृषिक भूमि वर्तमान में राजकीय कन्या इण्टर कालेज लोधा के नाम अंकित	भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर।

02 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 1736(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील कोल में थाना गभाना की पुलिस चौकी भरतरी के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	कोल	कोल	भरतरी	22मि0 17	0.058 0.046	6-4 ऊसर 5(3) बंजर	थाना गभाना की पुलिस चौकी भरतरी के निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वर्तन पर।

सं0 1737(4)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील गभाना में थाना लोधा की पुलिस चौकी वीरमपुर के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	खैर	अकरावत	11	0.080	6-4 ऊसर	थाना लोधा की पुलिस चौकी वीरमपुर के निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर।

विशाख जी०,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

वाराणसी के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

05 मार्च, 2024 ई०

सं० 1445/सात-भू०सु०-2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-99 मि० रकबा 14.260 हे० में से 1.000 हे० कृषि योग्य बंजर भूमि को वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	राजा तालाब	कसवार राजा	सत्तनपुर	आ०नं०-99 मि०, कृषि योग्य बंजर	1.000	पशुपालन विभाग (वृहद गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु)

23 मार्च, 2024 ई०

सं० 1474/सात-भू०सु०-2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-954/1 रकबा 0.5100 हे० में से 0.1000 वर्ग मीटर बंजर भूमि को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	सदर	कटेहर	धौरहरा	आ०नं०-954/1 बंजर	0.1000 वर्ग मीटर	आयुष विभाग (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

30 मार्च, 2024 ई०

सं० 1481/सात-भू०सु०-2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-1 रकबा 0.636 हे० में से 0.400 हे० बंजर भूमि को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की स्थापना हेतु पुलिस विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवार सरकारी	खेवसीपुर	आ०नं० 1 बंजर	0.400 हेक्टेयर	पुलिस विभाग (भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निर्माण हेतु)

एस० राजलिंगम,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

सम्भल, के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

12 अगस्त, 2024 ई०

सं० 73/डी०एल०आर०सी०/भूमि पुनर्ग्रहण/आकार पत्र-1/2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ० राजेन्द्र पैसिया, जिलाधिकारी, सम्भल संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 05 में उल्लिखित ग्राम अमरपुर उर्फ धर्मपुर, तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल, के प्रबन्धन में निहित थी, को जिला गन्ना अधिकारी, सम्भल के कार्यालय निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	अमरपुर उर्फ धर्मपुर	260	4.548 हे० में से 0.500 हेक्टेयर	5(3)(ख) "झाड़ी"	जिला गन्ना अधिकारी, सम्भल के कार्यालय निर्माण हेतु

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

17 अगस्त, 2024 ई०

सं० 74/डी०एल०आर०सी०/भूमि पुनर्ग्रहण/आकार पत्र-1/2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ० राजेन्द्र पैसिया, जिलाधिकारी, सम्भल संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 05 में उल्लिखित ग्राम गनुपुरा, तहसील गुन्नौर, जनपद सम्भल, के प्रबन्धन में निहित थी, को प्राथमिक विद्यालय, गनुपुरा के भवन निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	गुन्नौर	असदपुर	गनुपुरा	43	0.063 हेक्टेयर	5(3)(ख) "बंजर"	प्राथमिक विद्यालय, के भवन निर्माण हेतु

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

डॉ० राजेन्द्र पैसिया,
जिलाधिकारी, सम्भल।

प्रारूप-19

(नियम-27 का उपनियम(1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

दिनांक 15 जुलाई, 2025 ई०

अधिसूचना

सं० 274/वि०भू०अ०अ०/न०प०पा०/आगरा-आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अटलपुरम योजना के निर्माण हेतु जनपद व तहसील आगरा, के ग्राम-भांडई स्थित 0.05483 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 187/वि०भू०अ०अ०/न०म०पा०/आगरा, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 11 जुलाई, 2025 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आगरा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा-19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर आगरा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला आगरा, तहसील सदर आगरा, परगना आगरा, ग्राम भांडई की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
आगरा	सदर आगरा	आगरा	भांडई	626	0.0340
				659	0.01475
				660	0.00608
				योग	0.05483

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6

हेक्टेयर

----- शून्य -----

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा भूमि अध्याप्ति कलेक्टर आगरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अटलपुरम योजना के निर्माण हेतु जनपद आगरा, परगना आगरा, तहसील सदर आगरा, ग्राम भांडई स्थित 0.05483 हे० भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

परियोजना से प्रभावित भू-स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
कलेक्टर, आगरा।

FORM-19

Sub-Rule(1) of Rule 27)

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

(UNDER SUB-SECTION(1) OF SECTION 19 OF THE ACT)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

REVENUE DEPARTMENT

Dated 15 July, 2025

NOTIFICATION

No-274/S.L.A.O./N.M.P/AGRA-Whereas Preliminary Notification No. 187/S.L.A.O/N.M.P/AGRA Dated 9 April, 2025 was issued under Sub-Section(1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.05483 hectares of land in Village- Bhandai, Pargana Agra, Tehsil-Sadar Agra, District Agra is required for public purpose, namely project Atal Puram Yojana, through Agra Development Authority, Agra and lastly published on dated 11 July, 2025 The Deputy Collector/Assistant

Collector- A.D.M (F/R) Agra was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector (L.A) submitted in pursuance to provision under Sub Section (2) of the Section 15 of the Act, the Collector Agra declare under Section 19(1) of the Act Under the power of Governor with government order dated 6 *August*, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in Village- Bhandai, Pargana Agra, Tehsil-Sadar Agra, District Agra, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under Sub-Section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of Agra to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hect.</i>
AGRA	SADAR AGRA	AGRA	BHANDAI	626	0.0340
				659	0.01475
				660	0.00608
				TOTAL	0.05483

SCHEDULE- B
(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hect.</i>

----- **NIL** -----

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR
[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

By the order of declaration made under Government Notification No. 187/S.L.A.O/N.M.P/ AGRA Dated 09 April, 2025 for 0.05483 hectares of land in Village- Bhandai, Pargana Agra, Tehsil Sadar Agra, District-Agra is required for public purpose, namely, project Atal Puram Yojana. Through Agra Development Authority, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government Notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land acquisition.

By order,
Collector, Agra.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत

कार्यालय, जिला पंचायत, महोबा

दिनांक : 07 जनवरी, 2025 ई०

सं० 1553/21-एल०बी०ए०-उपविधि/2024-25-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उ०प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा-143 के साथ पठित धारा-239(2) के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, महोबा द्वारा अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्थान अथवा सार्वजनिक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान या व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के निमित्त पूर्व में प्रभावी उपविधि में दूर संशोधन की गई है यह उपविधि शासकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपविधि जनसामान्य के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। यदि उपविधि के प्राविधानों के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपनियम

क्र० सं०	व्यवसाय का नाम	जनपद महोबा की वर्ष 2021 से प्रभावी दरें	प्रस्तावित दर
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान पर	500	650
2	केवल परचून की दुकान पर	200	250

1	2	3	4
		रु0	रु0
3	गल्ले की बड़ी दुकान जिसमें 10 क्विंटल या उससे अधिक हो	250	350
4	केवल परचून की बड़ी दुकान पर	250	400
5	गल्ला किराना की छोटी दुकान जिसमें गल्ला 10 क्विंटल से कम हो	150	200
6	सोने चाँदी की बड़ी दुकान पर	300	400
7	सेना चाँदी के आभूषण बनाने वाली दुकान पर	150	200
8	मेडिकल स्टोर की दुकान पर	150	200
9	प्रत्येक होटल या हलवाई की दुकान पर	150	200
10	पुस्तक कापी एवं स्टेशनरी की सम्मिलित दुकान पर	150	200
11	लोहे की बड़ी दुकान पर	300	500
12	लोहे की छोटी दुकान पर	150	250
13	चाय, पान, ननकीन की सम्मिलित दुकान पर	150	200
14	केवल चाय की दुकान पर	100	150
15	शरबत, लस्सी या सोड़ावाटर की दुकान पर	150	200
16	घी या दूध की दुकान पर	150	200
17	लकड़ी या आरा मशीन एवं ईमारती लकड़ी की दुकान पर	500	700
18	बिना आरा मशीन एवं ईमारती लकड़ी की दुकान पर	200	300
19	ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी की छोटी दुकान पर	100	150
20	ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी की बड़ी दुकान पर	200	300
21	अन्य व्यवसाय की दुकान पर	200	250
22	फेरी की दुकान पर	200	250
23	सैलून की दुकान पर	100	150
24	कपड़े की धुलाई की दुकान पर	100	150
25	जूता की बड़ी दुकान पर	150	300
26	जूता की छोटी दुकान पर	100	150

1	2	3	4
		रु0	रु0
27	साइकिल की दुकान पर	300	400
28	मोटर पार्ट्स की दुकान पर	300	500
29	मोटर मरम्मत की दुकान पर	150	200
30	साइकिल रिक्शा मरम्मत की दुकान पर	100	150
31	पत्थर की छोटी दुकान पर	150	200
32	पत्थर की बड़ी दुकान पर	500	650
33	सीमेन्ट की दुकान पर	300	400
34	खाद की दुकान पर (रासायनिक) जिसमें सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित न हो	300	400
35	केवल कपड़े की छोटी दुकान पर	0	200
36	केवल कपड़े की बड़ी दुकान पर	100	300
37	आयुर्वेदिक देशी, यूनानी, होम्योपैथिक दवायें तथा डाक्टर इंस्ट्रुमेंट, पट्टी गाज रुई, दूध के डिब्बे आदि की दुकान पर	300	400
38	टीन के बक्सों, अल्यूमीनियम के सामान, टीन के चादर की दुकान पर	300	400
39	स्टेन्लेस स्टील की दुकान पर (बर्तन)	150	200
40	सिलार्ड मशीन, टाईप राइटर मशीन तथा उससे सम्बन्धित दुकान पर	300	400
41	कपड़े की सिलार्ड की दुकान पर जिसमें एक मशीन चलती हो	100	150
42	कपड़े की सिलार्ड की दुकान पर जिसमें एक से अधिक मशीन चलती हो	150	200
43	घड़ियों की दुकान पर जहाँ घड़ियाँ बेची जाती हों	300	400
44	घड़ियों की मरम्मत की दुकान पर	100	150
45	रेडियों की दुकान पर जहाँ रेडियो बेचे जाते हों	350	450
46	रेडियो के मरम्मत की दुकान पर	150	200
47	पेट्रोल पम्प (पेट्रोल, डीजल एवं सी0एन0जी0) पर	2000	3000
48	पेट्रोल पम्प (पेट्रोल, एवं डीजल) पर	1500	2500
49	फर्नीचर की दुकान पर जिसमें सोफा सेट, मसहरी,, कुर्सी, टेवल, चौकी लकड़ी के दरवाजे पावा आदि	250	400

1	2	3	4
		रु0	रु0
50	साइकिल रिक्शा या साइकिल पार्ट्स, ट्यूब आदि की बिक्री की दुकान पर	300	400
51	डीजल, मोबिल आयल बेचने की दुकान पर फुटकर	150	200
52	कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा औजारों की दुकान पर	300	400
53	फल सब्जी की दुकान पर	150	200
54	बाजे की दुकान पर जिसमें हर प्रकार के बाजे बेचे जाते हो या मरम्मत होती हो	150	200
55	बिजली के मोटर,, पंखे, बल्ब, तार लैम्प आदि की दुकान पर जहाँ पर बिजली सम्बन्धी हर प्रकार के सामान बेचे जाते हैं	150	200
56	लाउडस्पीकर तथा इससे सम्बन्धित सामान रखने की दुकान पर	150	200
57	समस्त प्रकार के बीज की दुकान पर जिसमें बीज भण्डार सम्मिलित हो	150	200
58	भांग, ताड़ी की दुकान पर	300	500
59	हथियार अग्नि अस्त्र अथवा किसी अन्य प्रकार की दुकान पर	500	700
60	मोटर, मोटर साइकिल पंचर मरम्मत, हवा मशीन भरने की दुकान पर	150	200
61	खेल खेलने का काम आने वाले सामानों की दुकान पर	100	150
62	पत्थर व पत्थर के बने सामानों की दुकान पर	150	200
63	क्रॉकरी की दुकान पर	150	200
64	हर किस्म के वार्निश, पेन्ट, तारपीन के तेल बगैरह की दुकान पर	300	400
65	टेन्ट शामियाना, तम्बू कनात, फुलवारी आदि पर जो किरायों पर दी जाती है	1000	1500
66	रस्सी हर किस्म जैसे नारियल, सन, बेत, सुतली की बनी हुई टाट, पट्टी, बोरी, मूज, नेवारखस व खस की बनी सामानों की दुकान पर	150	200
67	गिट्टी पत्थर, सीमेन्ट के सामान स्पर बाकरे का सामान जो सिनेटरी फिटिंग के कार्य में आने की दुकान पर	150	200
68	समस्त प्रकार का चूना, सफेद सीमेंट, बालू, मोरंग मारबल चिमनी रंगीन व संगमरमर की रोड़ी चूर्ण पाउडर सफेद खड़िया रामरत्र हर तरह के गेरू मुजैक के दाने आदि की दुकान पर	750	1000

1	2	3	4
		रु0	रु0
69	मेडिकल प्रैक्टिशनर जो दवा भी रखते हों	300	400
70	केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर	200	250
71	देशी, विदेशी शराब व वियर की दुकान पर	1500	2000
72	कालीन व दरी प्रतिष्ठान पर	150	200
73	गिट्टी, बालू एवं मोरगं की दुकान पर	300	400
74	दाल, चावल मिल (पावर, डीजल)	1500	2500
75	जनरल स्टोर की दुकान पर	150	200
76	टी0वी0 की दुकान पर	700	900
77	विडियो की दुकान पर	700	900
78	सिनेमाघर	1000	1000
79	कोल्ड स्टोरेज पावर या अन्य विधि	3000	4000
80	कालीन गलीचा व दरी पावर या अन्य	700	1000
81	कालीन रंगाई व्यवसाय पर	700	1000
82	हथकरघा पर	200	250
83	कपड़े की छपाई व रंगाई की दुकान पर	150	200
84	छूटे हुये व्यवसायी तथा नर्सिंग होग बीस बेड का	750	1000
85	प्रसूति गृह 20 बेड का	750	1000
86	नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक पर	1500	2000
87	प्राईवेट अस्पताल	500	1500
88	पैथॉलाजी सेन्टर	750	1000
89	डेन्टल क्लीनिक	300	500
90	एक्सरे क्लीनिक	750	1000
91	फार्मिनेस कम्पनी चिटफंड/इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा	1500	2000
92	वेल्डर/खराद मशीन/इंजीनियरिंग वर्क्स	750	1000

1	2	3	4
		रु0	रु0
93	कबाड़ी की दुकान	500	700
94	मोपेड (आटो सेल्स की दुकान)	3000	4000
95	ट्रैक्टर एजेन्सी	3000	5000
96	मोटर टायर की बड़ी दुकान	1000	1500
97	मोटर टायर की छोटी दुकान	500	750
98	स्टोन क्रेशर (एक नग)	5000	6500
99	कोयले की बड़ी दुकान	750	750
100	कोयले की छोटी दुकान	500	500
101	रेस्टोरेन्ट/लॉज	1500	2000
102	गल्ला की आढ़त	750	1000
103	सीमेन्ट की चादर बनाने का कारखाना	1500	2000
104	सीमेन्ट की चादर बेचने की दुकान	750	1000
105	सीमेन्ट का पोल	3000	4000
106	सीमेन्ट का ईटा बनाने की कारखाना	1500	2000
107	सीमेन्ट की ईट बेचने की दुकान	750	1000
108	हयूम पाईप का कारखाना	1500	2500
109	सरकारी ठेकेदार	1200	2000
110	मेबाइल बिक्री की बड़ी दुकान	750	1000
111	मोबाइल सेट व रिचार्ज की सम्मिलित दुकान पर	350	500
112	क्रेशर प्लांट के पट्टे/बेल्ट की दुकान पर	750	1000
113	स्टोन क्रेशर पार्टस की दुकान पर	750	1000
114	आटा चक्की पर	150	200
115	आटा चक्की सोलर होलर सहित (स्पेलर)	300	500
116	लिफ्टर नांव (वह नांव जो नदी से पम्पिंगसेट के द्वारा बालू निकालती हो प्रत्येक नग)	5000	5000

1	2	3	4
		रु0	रु0
117	प्रचार होर्डिंग बोर्ड प्रति वर्ग फिट	150	200
118	अन्य बड़े व्यवसाय	2000	2500
119	डायमण्ड की गोदाम/फुटकार बिक्री पर	5000	5000
120	गौरा पत्थर/पीतल का कारखाना	3000	4000
121	चिमनी ईट भटठा	4000	5000
122	देशी ईट भटठा	500	700
123	स्कूटी/किसी भी कम्पनीयों की मोटर साइकिल एजेन्सी	3000	3500
124	बड़ी गाड़ी की एजेन्सी	3000	4000
125	गैस प्लांट/गैस सिलैन्डर गोदाम	3000	4000
126	फैक्ट्री के रूप में संचालित व्यवसाय जैसे कंस्ट्रक्शन प्लांट तेल शोधक संयंत्र/आयल (रिफायनरी कारखाना/कच्चा तेल बनाने का कारखाना)	3000	4000
127	डबल रोटी, बिस्कुट का कारखाना	750	750
128	बिस्कुट, लेमन चुस, टाफी की थोक दुकान पर	500	650
129	धर्मकांटा	1500	2000
130	सुर्ती (तम्बाखू की फुटकर/थोक) दुकान पर	150	200
131	गुड़ अथवा चीनी की थोक दुकान	750	1000
132	घी सूजी मैदा, बेसन आदि के थोक विक्रेता	500	650
133	घड़ी की दुकान थोक अथवा फुटकर	150	200
134	शीशा फोटो फ्रेम की दुकान	150	200
135	अण्डा/चाय/पकौड़ा की दुकान	150	200
136	मिठाई के डिब्बे, कागज के प्लेट, प्लास्टिक के थैले आदि की दुकान	150	200
137	फोटोग्राफर एवं फोटो स्टेट की दुकान	150	200
138	बोरिंग/पम्पिंगसेट की दुकान	500	700
139	ग्रिल, शटर जाली आदि की दुकान पर	1500	2000
140	ट्रैक्टर ट्राली बनाने का कारखाना	1500	2000

1	2	3	4
		रु०	रु०
141	प्रिन्टिंग प्रेस	750	1000
142	बैटरी बिक्री एवं चार्ज की दुकान पर	300	400
143	लान्ड्री की दुकान	150	200
144	सिनेमा अस्थाई	700	700
145	रेडीमेड कपड़े की दुकान	300	400
146	सोलर प्लांट	0	5000
147	निजी शिक्षण संस्थान हाई स्कूल तक	0	2000
148	स्पेलर	0	300
149	ट्रक गैराज पर	0	2500
150	पानी प्लांट पर	0	2000
151	अन्य छोटे व्यवसाय	0	1500

उक्त उपविधि में नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी

आयुक्त,
चित्रकूटधाम,
मण्डल बांदा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

18 जुलाई, 2025 ई०

सं० मा०शि०प०/परिषद्-9/353-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या-895/15-7-2025 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2025 के द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह के विनियम-3(ख) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

स्तम्भ-1

वर्तमान अध्याय-बारह विनियम-3(ख)

परिषद् की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा-09 तथा कक्षा-11 में प्रवेश लेते समय विहित प्रपत्र पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पात्रता तथा जन्म तिथि से सम्बन्धित वैध एवं प्रमाणित साक्ष्य संस्था के प्रधान को तत्समय उपलब्ध करायेंगे। संस्था के प्रधान संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी का पंजीकरण अपने विद्यालय पर करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क के रूप में रु० 50.00 (रुपये पचास)

स्तम्भ-2

संशोधित अध्याय-बारह विनियम-3(ख)

परिषद् की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा-09 तथा कक्षा-11 में प्रवेश लेते समय अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पात्रता तथा जन्म तिथि से सम्बन्धित वैध एवं प्रमाणित साक्ष्य संस्था के प्रधान को तत्समय उपलब्ध करायेंगे। संस्था के प्रधान संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी का पंजीकरण अपने विद्यालय पर करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क के रूप में रु० 50.00 (रुपये पचास) मात्र संस्था के प्रधान को

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

वर्तमान अध्याय-बारह विनियम-3(ख)

संशोधित अध्याय-बारह विनियम-3(ख)

मात्र संस्था के प्रधान को देना होगा। संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकरण शुल्क प्रधान द्वारा पंजीकरण शुल्क राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

1- ₹0 40/- राजकीय कोष में।

2- ₹0 10/- विद्यालय के खाते

संस्था के प्रधान को इस निमित्त ₹0 10.00 (रूपये दस) मात्र प्रति परीक्षार्थी की दर से पारिश्रमिक देय होगा जिसका पावना पत्र सचिव को भेजेंगे। उपयुक्त निर्दिष्ट कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता अशुद्धता अथवा विलम्ब आदि के लिए संस्था के प्रधान सीधे उत्तरदायी माने जायेंगे जिसके लिए उनके पारिश्रमिक से कटौती अथवा उनके विरुद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी।

वांछित धनराशि संस्था के आकस्मिक व्यय हेतु अनुरक्षित रखी जाए जो संस्था के गुणवत्ताएं संवर्द्धन एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु व्यय की जाए। संस्था के प्रधान द्वारा वांछित धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि अनुरक्षित की जा रही है। निर्दिष्ट कार्य हेतु किये गये व्यय में किसी प्रकार की अनियमितता अशुद्धता अथवा विलम्ब आदि के लिए संस्था के प्रधान सीधे उत्तरदायी माने जायेंगे जिसके लिए उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी।

भगवती सिंह,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

नगर निगम, गाजियाबाद

23 जनवरी, 2025 ई०

उत्तर प्रदेश नगर निगम/नगर निकाय सीमान्तर्गत चलित ई-रिक्शा के विनियमन की उपविधि

सं० 1178/नं०आ०/2024-25 उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-451, 452 व 541 (41) व (49) के अधीन नगर निगम सीमान्तर्गत चलित ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन के संचालन को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु मा० सदन की आहुत बैठक दिनांक 09 जनवरी, 2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं०-36 पर विचार-विमर्श करते हुए मा० सदन द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार बॉयलॉज तैयार किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके क्रम में बॉयलॉज तैयार करते हुए नगर में परिचालित दो दैनिक समाचार-पत्रों यथा: हिन्दुस्तान एवं उदय भूमि के दिनांक 12 जून, 2024 के अंक में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराकर तथा नगर निगम की वेबसाइट <http://ghaziabadnagarnigam.in> पर सार्वजनिक सूचना को अपलोड कराते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति आमन्त्रित की गयी, किन्तु निर्धारित समया वधि के अन्दर किसी भी आमजन के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, तदोपरान्त मा० सदन की आहुत बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं०-63 के क्रम में बॉयलॉज/उपविधि का अन्तिम रूप से गजट में प्रकाशन कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 451, 452 व 541 (41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके गाजियाबाद नगर निगम/नगर निकाय की सीमान्तर्गत चालित ई-रिक्शा के विनियमन की उपविधि।

1- यह उपविधि नगर निगम सीमान्तर्गत ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन विनियमित एवं नियंत्रित करने की उपविधि कहलायेगी।

2-परिभाषा-इन उपविधियों में अब तक विषय अथवा प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो।

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(ख) सीमान्तर्गत से तात्पर्य नगर निगम/नगर निकाय की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमायें भी इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी।

(ग) नगर आयुक्त का तात्पर्य सम्बन्धित नगर निगम के नगर आयुक्त से है।

(घ) अनुज्ञप्ति अधिकारी से तात्पर्य नगर आयुक्त जिस अधिकारी को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नामित करें जो राजस्व से सम्बन्धित अधिकारी से है।

(ङ) अनुज्ञप्ति ग्रहिता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निजी ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त किया हो।

(च) अनुज्ञप्ति ग्रहिता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ई-रिक्शा किराये पर एक से अधिक ई-रिक्शा चलवाये जाने की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

लाइसेंस की शर्त एवं नियम-

नगर निगम/नगर निकाय की सीमान्तर्गत अनुज्ञप्ति अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई ई-रिक्शा सवारी/ई-कार्टस/ई-भार वाहन नहीं चलाया जा सकता है।

1. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन सुदृढ़ तथा चालू अवस्था में हो।

2. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन चालक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होगी तथा चालक स्वस्थ होता था किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो रिक्शा पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराते समय चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासन द्वारा स्वीकृत आकार व स्वरूप के अनुरूप हो।

3. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन की छतरी-पानी रोकने वाले वस्त्र अथवा अन्य पदार्थ की हो और सवारी सीट के अन्दर कुशन का अस्तर हो अथवा रैक्सीन की बनी हो।

4. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन में हेड लाइट घण्टी और खतरा सूचना लाल बत्ती बीच में पीछे हो।

5. नगर निगम/नगर निकाय द्वारा अनधिकृत रूप से पकड़े गये ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन चलित पर रुपये 20.00 प्रतिदिवस अर्थदण्ड देय होगा 15 दिवस के पश्चात नगर आयुक्त अथवा अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा ई-रिक्शा स्वामी को सूचना देकर और दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराने के पश्चात ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन को नीलाम कर दिया जायेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व समस्त व्यय और अवशेष अनुज्ञप्ति शुल्क के देने पर ई-रिक्शा मुक्त करा सकेगा।

6. ई-रिक्शा सवारी, यातायात विभाग द्वारा चिह्नित मार्गों पर ही चलाने की अनुमति दी जायेगी, यदि प्रतिबन्धित मार्गों पर ई-रिक्शा सवारी चलता पाया गया उसके विरुद्ध अर्थदण्ड ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7. समस्त ई-रिक्शा चालको को सम्भागीय परिवहन विभाग से जारी वाहन का चालक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुज्ञप्ति गृहिता को निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करना आवश्यक होगा—

1. कोई भी अनुज्ञप्ति गृहिता न तो किसी निषेध द्रव्य का प्रयोग करेगा न ही किसी ई-रिक्शा में बैठने वाली सवारी को ऐसा करने देगा, किसी भी प्रकार मद्यपान जिसमें एल्कोहल हो का प्रयोग अथवा सेवन नहीं करेगा।

2. नगर आयुक्त एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी कोई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन का लाइसेंस का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

3. अनुज्ञप्ति अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से परिवर्तित अथवा हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4. नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी उपविधि से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति जारी करेगा और वही अनुज्ञप्ति अधिकारी होगा।

5. प्रत्येक अनुज्ञप्ति जो उपविधि के अधीन स्वीकार किया जायेगा, उसकी अवधि वित्तीय प्रतिवर्ष 1 अप्रैल, से 31 मार्च के लिए मान्य होगा। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकरण कराने के लिए प्रार्थना-पत्र 31 मई तक प्राप्त करना होगा। निर्धारित अवधि (31 मई से पूर्व 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी) के पश्चात प्राप्त अनुज्ञप्ति करने या नवीनीकरण प्रार्थना-पत्रों पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 20 प्रतिशत शुल्क देय होगा। प्रथम बार इस नई उपविधि के प्रभावी दिनांक से अगले 02 माह की अन्तिम दिनांक तक 10 प्रतिशत छूट देय होगी। तत्पश्चात् निर्धारित शुल्क पर 20 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा।

6. उपविधि का उल्लंघन करने पर नगर आयुक्त/नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी/कर अधीक्षक लाइसेंस किसी भी अनुज्ञा को निलम्बित/रद्द कर सकता है तथा बिना अनुज्ञा ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन के संचालक के विरुद्ध विधि कार्यवाही अथवा दण्डित करने हेतु सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही एवं नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा. 550 (क) (ख) के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है।

7. अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित अथवा रद्द करने अथवा अन्य इस उपविधि से संबंधित किसी आदेश के विरुद्ध की तिथि से 15 दिन में प्रतिवेदन नगर आयुक्त के नाम प्रेषित किया जा सकता है। जिसमें नगर आयुक्त का निर्णय मान्य होगा। यदि नगर आयुक्त आवश्यक समझें तो प्रकरण बोर्ड को सन्दर्भित किया जा सकता है। जिसमें बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा। इस उपविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित शुल्क देय होगा :—

1. निजी ई-रिक्शा सवारी 05 सीटर (मय चालक) वार्षिक दर रुपये 800.00।
2. निजी ई-रिक्शा भार वाहन वार्षिक दर रुपये 800.00।
3. ई-रिक्शा सवारी/भार वाहन चालक लाइसेंस वार्षिक दर रुपये 200.00।

4. ई-रिक्शा सवारी 4 सीटर (रिक्शा, मालिक किराये पर संचालन हेतु) प्रति ई-रिक्शा लाइसेंस वार्षिक दर रुपये 1,000.00।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर निगमों/नगर निकायों यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि के किसी भी नियमों का उल्लंघन अथवा भंग करने वाले व्यक्ति पर रुपये 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रथम अभियोग के सिद्ध होने के पश्चात् रुपये 5.00 प्रति दिवस अतिरिक्त अर्थ दण्ड होगा।

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर निगम, गाजियाबाद

ट्रेड लाइसेंस-उपविधि

शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-161सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 में निर्दिष्ट ट्रेड लाइसेंस की कुल 39 के अतिरिक्त गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत अन्य विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित किये जा रहे हैं, जिनको चिन्हित करते हुए नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस जमा कराकर लाइसेंस निर्गत कराये जाने हेतु मा0 सदन की आहुत बैठक दिनांक 09 जनवरी, 2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं0-37 पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में ट्रेड लाइसेंस से छूटे मदों के संम्बन्ध में उपविधि तैयार की गयी तथा नगर में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों यथा: हिन्दुस्तान एवं उदय भूमि के दिनांक 12 जून, 2024 के अंक में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराकर तथा नगर निगम की वेबसाइट <http://ghaziabadnagarnigam.in> पद पर सार्वजनिक सूचना को अपलोड कराते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति आमन्त्रित की गयी, किन्तु नियत समयावधि के अन्दर किसी भी आमजन के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। तदोपरान्त मा0 सदन की आहुत बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं0-62 पर विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ भविष्य में यदि कोई नया मद शामिल किया जायें तो उनका कैटेगिरी वार्डज सर्वे/परीक्षण किया जायें, का निर्णय लिया गया। उक्त उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि लागू होगी।

शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-161सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 में निर्दिष्ट ट्रेड लाइसेंस की कुल 39 के अतिरिक्त गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत अन्य विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित किये जा रहे हैं, जिनको उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 451, 452 व 541 (41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके चिन्हित करते हुए नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस जमा कराकर लाइसेंस निर्गत कराये जाने हेतु उपविधि तैयार की गयी है, जिसको सरकारी गजट में प्रकाशन कराने हेतु बनायी गयी उपविधि की पुष्टि की जाती है। मदवार प्रतिष्ठानों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मद का नाम	प्रस्तावित दर (वार्षिक)
1	2	3
		रु०
1	जिम (सामान्य)	2000 /—
2	जिम (वातानुकूलित)	5000 /—
3	ब्यूटीपॉर्लर (सामान्य)	2000 /—
4	ब्यूटीपॉर्लर (वातानुकूलित)	4000 /—
5	कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान (मैट्रिक कक्षा तक को छोड़कर)	2000 /—
6	चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट कार्यालय	4000 /—
7	स्पा सेंटर	3000 /—
8	सामान्य ज्वैलरी शोरूम	3000 /—
9	समस्त ब्रॉन्डेड ज्वैलरी शोरूम (Tanishq, Sinko etc.)	5000 /—
10	समस्त ब्रॉन्डेड कपड़ा शोरूम (Raymond, Luis Phillipe etc.)	4000 /—
11	समस्त ब्रॉन्डेड शू शोरूम (Liberty, Puma, Adidas, Skechers, Mochi etc)	4000 /—
12	स्पोर्ट्स एकेडमी (क्रिकेट एकेडमी या टेनिस एकेडमी या अन्य एकेडमी आदि)	10000 /—
13	स्पोर्ट्स एकेडमी (संयुक्त रूप से एक से ज्यादा स्पोर्ट्स जैसे—क्रिकेट एकेडमी, टेनिस एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी आदि)	20000 /—

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के नगर निगम/नगर निकाय यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी नियमों का उल्लंघन अथवा भंग करने वाले व्यक्ति पर रुपये 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रथम अभियोग के सिद्ध होने के पश्चात् रुपये 20.00 प्रतिदिवस अतिरिक्त अर्थ दण्ड होगा।

ह० (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

प्रशासन अनुभाग

सूचना

दिनांक 27 जून, 2025 ई०

सं० 1185/प्रशा०-एक-उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-95 की उपधारा (1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सहायक उद्यान निरीक्षक तथा उद्यान निरीक्षक सेवा विनियमावली-1999 में भाग-4 अर्हताएँ के बिन्दु संख्या-7 आयु, भाग-5 में भर्ती की प्रक्रिया के बिन्दु संख्या-13, 14, 15, 16 एवं 18 में निम्नलिखित संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल की 270वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2025 की मद संख्या-270/06 पर प्रस्तुत किया गया। जिसे मा० निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया है।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1	2
भाग-चार	भाग-चार
अर्हताएँ	अर्हताएँ
7- आयु- सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की, आयु जिस वर्ष भर्ती की जाती है उस वर्ष पहली जनवरी को 18 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य में आयु होनी चाहिए। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और यथा-अधिसूचित ऐसी ही अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी की शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में निश्चित की जाये।	7- आयु: सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की, आयु सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और यथा-अधिसूचित ऐसी ही अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी की शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में निश्चित की जाये।
परिषद के छटनी कर दिये गये कर्मचारियों तथा ऐसे परिषद कर्मचारी जो उक्त सेवा के इच्छुक हो के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।	
नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में उच्च आयु को शिथिल कर सकता है, यदि वह इसे न्यायपूर्ण व्यवहार के हित में अथवा परिषद के हित में आवश्यक समझता हो।	

भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया

13— रिक्तियों का निर्धारण और अधिसूचना— “अपर आवास आयुक्त एवं सचिव भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का तथा विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का भी निर्धारण करेंगे। रिक्तियाँ सेवा नियोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार प्रमुख समाचार-पत्रों में भी विज्ञप्ति की जा सकती है।”

14— सीधी भर्ती के लिए कार्य विधि—

(1) भर्ती के प्रयोजनार्थ आवास आयुक्त एक चयन समिति गठन करेंगे।

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की छान-बीन करेगी और पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कहेगी।

टिप्पणी—प्रतियोगितात्मक परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाये।

(3) अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को सारणी बद्ध कर लिए जाने के बाद चयन समिति भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व रखे जाने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को जिन्हें समिति ठीक समझें, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेंगी।

(4) चयन-समिति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंक योग प्रकट योग्यता क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर रखा जायेगा और यदि लिखित परीक्षा के भी अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान किया जायेगा। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।”

भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया

13— रिक्तियों का निर्धारण और अधिसूचना— “अपर आवास आयुक्त एवं सचिव भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का नियमानुसार निर्धारण करेंगे।” भर्ती वर्ष के सीधी भर्ती के पदों पर रिक्तियाँ उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

14— सीधी भर्ती के लिए कार्य विधि—

(1) सीधी भर्ती उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की जायेगी।

(2) चयन का आधार-लिखित परीक्षा

1

2

15- शुल्क (फीस)- “सेवा के सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आवास आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी—इन विनियमों के प्रख्यापन के दिनांक को निर्धारित शुल्क का मानक इन विनियमों के परिशिष्ट “क” में दे दिया गया है।

16- सहायक उद्यान निरीक्षक के पद पर चयन की कार्य विधि— “सहायक उद्यान निरीक्षक के पद पर चयन द्वारा भर्ती,

(1) सहायक उद्यान निरीक्षक के पद पर चयन द्वारा भर्ती, आवास आयुक्त द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से योग्यता (मेरिट) के आधार पर की जायेगी।

(2) चयन समिति पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर करेगी।

टिप्पणी—लिखित परीक्षा के लिखित प्रश्न-पत्र का प्रतिरूप चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

18- चयन सूची—

विनियम-16 अथवा 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियाँ ही चयन सूचियाँ बन जायेगी और एक वर्ष के लिए अथवा उतने समय तक जब तक कि आगामी चयन में इनकी समीक्षा न की जाये, प्रभावी रहेगी।

15- शुल्क (फीस)- उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार।

16- सहायक उद्यान निरीक्षक के पद पर चयन की कार्य विधि— उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की जायेगी।

18- चयन सूची—

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्गत मेरिट सूची के अनुसार।

2- अतः मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सहायक उद्यान निरीक्षक तथा उद्यान निरीक्षक सेवा विनियमावली-1999 में भाग-4 अर्हताएँ के बिन्दु संख्या-7 आयु, भाग-5 में भर्ती की प्रक्रिया के बिन्दु संख्या-13, 14, 15, 16 एवं 18 में संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

कार्यालय, नगर पंचायत मगहर, संत कबीर नगर

23 जुलाई, 2024

सं0 110/न0पं0म0/उपविधि/लाइसेन्स/2024-25 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294 एवं 298 (2), सूची (च), (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत मगहर,जनपद— संत कबीर नगर द्वारा अपनी सीमा के अन्दर निम्नांकित लाइसेन्स उपविधि नियंत्रण एवं विनियमितीकरण उप नियमावली बनाती है। इस नियमावली को उक्त एक्ट की धारा 301-क(1) के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण दिनांक 23 जुलाई, 2024 एवं संदेश वाहक 23 जुलाई, 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के प्रस्ताव संख्या 05 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उप नियमावली

परिभाषा:—किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर

1—उपनियम से तात्पर्य नगर पंचायत मगहर,जनपद— संत कबीर नगर के अन्दर लाइसेन्स फीस उपनियम से है।

2—सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत मगहर,जनपद—संत कबीर नगर की क्षेत्राधिकार सीमा से है।

3—नगर पंचायत अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत मगहर,जनपद— संत कबीर नगर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

4—नगर पंचायत मगहर के सीमा के अन्दर जो भी दुकानदार दुकान या कोई भी अन्य व्यवसाय,उद्योग चलायेगा या किसी प्रकार का ऐसा कार्य करेगा जो लाइसेन्स शुल्क नियमावली के अन्दर आता है,उसे निर्धारित शुल्क अदा कर लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5—अधिषासी अधिकारी,नगर पंचायत मगहर, लाइसेन्स अधिकारी होंगे,जिनके द्वारा लाइसेन्स जारी किया जायेगा।

6—नगर पंचायत मगहर की सीमा के अन्तर्गत कोई व्यवसायी बिना लाइसेन्स प्राप्त किये कोई व्यवसाय करते या उद्योग चलाते पाया जायेगा, तो लाइसेन्स अधिकारी को दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7—लाइसेन्स अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अन्य कर्मचारी या कर्मचारियों को लाइसेन्स जारी करने हेतु अधिकृत कर सकता है।

8—लाइसेन्स अवधि केवल एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) तक होगी, अवधि समाप्त होने पर एक सप्ताह पूर्व ही नियत शुल्क जमा कर पुनः लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

9—अगर कोई व्यवसायी ऐसा कोई उद्योग लगाता या परिवर्तन करता है जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो,ऐसी सूचना मिलने पर जाँच की जा सकती है और लाइसेन्स निरस्त किया जा सकता है।

10—इस हेतु निर्धारित दरों का दो-तिहाई के अद्यतन के आधार पर छपी दरों को दृष्टिगत रखते हुए एवं शा0सं0-161 सीएम/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक-16 दिसम्बर, 1997 में निर्धारित दरों के अनुसार नगर पंचायत मगहर, जनपद संत कबीर नगर में मदवार लाइसेन्स की दरें निम्नवत् होगी :-

क्र० सं०	लाइसेन्स की मद	निर्धारित वार्षिक दरें
1	2	3
	होटल रेस्टोरेन्ट	रु०
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट-हाउस बारात घर	15,000.00
2	ढाबा /रेस्टोरेन्ट/ जलपान गृह	5,000.00
	स्वास्थ्य सेवा	
3(क)	प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20 बेड तक)	15,000.00
(ख)	प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20 बेड से 50 बेड तक)	25,000.00
(ग)	प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (50 बेड से ऊपर तक)	35,000.00
(घ)	एक्स रे/अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर/पैथालोजी सेन्टर	10,000.00
(ङ)	प्राइवेट क्लीनिक/डिस्पेन्सरी/डेंटल क्लीनिक	5,000.00
(च)	मेडिकलस्टोर (एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक एवं पशुओं की दवाइयों की दुकान)	5,000.00
	परिवहन	
4(क)	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	12,000.00
(ख)	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	5,000.00
5	बस/ट्रक	2,500.00
6	मिनीबस/टैक्सी, जीप, टाटा मैजिक, विन्जर आदि समतुल्य वाहन	2,000.00
7	अन्य चार पहिया वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु समस्त वाहन)	1,500.00
8	आटो रिक्शा 7 सीटर तक आटो रिक्शा (माल वाहक)/ई-रिक्शा	600.00
9	ठेला (इंजन चालित)/ट्रैक्टर-ट्राली (व्यवसायिक प्रयोग)	500.00
10	रिक्शा ठेला (माल/आइसक्रीम)/रिक्शा/तांगा/बैलगाड़ी	250.00
11	मोटर/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेडगैरेज (रिपेयरिंग/सर्विसिंग)	1,500.00
12	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	10,000.00
13	दो पहिया वाहन की एजेन्सी (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	6,000.00
14	साइकिल की दुकान (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	1,000.00
15	मोटर एवं दोपहिया का टायर एवं पंचर मरम्मत आदि अन्य सम्बन्धित दुकान जो कि इस श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं हैं।	500.00
	अन्य व्यवसाय	
16	हाउसिंग, लीजिंग, रिज्यूडरी नॉन बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड एवं इन्श्योरेन्स कं० प्रति शाखा	9,000.00
17	आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट/ बिल्डिंग डिजाइनर (इस्टीमेटर एवं वैल्युअर आदि।)	3,000.00
18	आइस, कोल्ड ड्रिक्स, सोडा वाटर एवं मिनरल वाटर के निर्माता/विक्रेता/ एजेन्सी	5,000.00

1	2	3
		रु०
19	देशी शराब (प्रति दुकान)	7,000.00
20 (क)	आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित विदेशी/अंग्रेजी शराब एवं बियर की दुकान	12,000.00
(ख)	आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित मॉडल शॉप/बार/बियर बार (बैठकर विदेशी/अंग्रेजी शराब एवं बियर पीने एवं खाने की सुविधा युक्त दुकान)	15,000.00
21	तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला एवं पान मैटिरियल्स की दुकान	5,000.00
22	किराना की दुकान/जनरल स्टोर	1,200.00
23 (क)	इलेक्ट्रिकल्स स्टोर	1,200.00
(ख)	इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का सेल्स स्टोर/शो-रूम/गोदाम	2,000.00
24	कपड़ा रेडीमेड कपड़ा की दुकान/जूता की दुकान	1,200.00
25	ज्वैलरी की दुकान	2,000.00
26	कम्प्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सर्विस व मरम्मत तथा चिप, मोबाइल टैरिफ, रिचार्ज, ई-टाप अप आदि की दुकान।	1,500.00
27(क)	किताब,कापी, लेखन सामग्री, मैगजीन, न्यूज पेपर आदि की दुकान एवं एजेन्सी	500.00
(ख)	फोटो कापी एवं लेमिनेशन, कम्प्यूटर टाइपिंग तथा रोजगार एवं अन्य फार्म आदि के बिक्री की दुकान	600.00
(ग)	कॉल सेन्टर/पीसीओ/फैक्स/फोटोग्राफी एवं फोटो फ्रेमिंग आदि की दुकान	500.00
(घ)	प्रिन्टिंग प्रेस/छपाई की दुकान/फ्लेक्स एवं बैनर प्रिन्टिंग की दुकान	2,000.00
28(क)	ग्रेनाइट/मार्बल/बिल्डिंग मैटिरियल्स (गिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेन्ट व सरिया आदि) की दुकान	5,000.00
(ख)	हार्डवेयर, टाइल्स, प्लम्बरिंग व सेनेटरी आइटम, चूना, पेन्ट्स व प्लाई की दुकान	5,000.00
(ग)	बॉस, बल्ली, पटरा आदि की बिक्री एवं किराये पर देने की दुकान	500.00
29	आटोमोबाइल्स/कृषि मशीनरी पार्ट्स स्टोर	1,000.00
30(क)	लोहे के सामानों की दुकान	1,000.00
(ख)	बर्तन, क्राकरी आदि की दुकान	1,500.00
31(क)	टेण्ट हाउस	3,000.00
(ख)	बिजली सजावट/रोडलाइट/डीजे/साउन्ड सर्विस आदि	2,400.00
32	पेट्रोल/डीजल एवं सीएनजी/पीएनजी/एलपीजी/एलपीएम एवं कुकिंग गैस एजेन्सी	6,000.00

1	2	3
		रु0
33(क)	ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून आदि	1,000.00
(ख)	सौन्दर्य प्रसाधन की दुकानें	1,000.00
34(क)	मिठाई एवं पेठा के निर्माता एवं विक्रेता	1,000.00
(ख)	कैटर्स, बेकर्स, चाट, बतासा व अन्य नमकीन/रेडीमेड मिठाईयों आदि की दुकान	1,000.00
(ग)	बकरा, मुर्गा व मुर्गी के मांस की दुकान	2,000.00
(घ)	गोट फार्म पोल्ट्रीफार्म एवं अण्डा की दुकान	1,500.00
(ङ)	सब्जी/फल की थोक दुकान	1,500.00
(च)	सब्जी/फल की फुटकर दुकान/मौसमी फलों व गन्ने के जूस	600.00
35	अनाज, दलहन, तिलहन, तेल, वनस्पति घी, देशी घी, चीनी, गुड़ व खाड़सारी की थोक दुकान	2,000.00
36(क)	स्पेलर/तेल मशीन, दाल मशीन	1,200.00
(ख)	आटा चक्की, आरा मशीन, लकड़ी विक्रेता, लकड़ी के सामानों, फर्नीचर्स आदि का निर्माण एवं बिक्री	1,200.00
(ग)	प्लास्टिक ट्रेडर्स, खिलौना, चूड़ी व बिसात खाना	2,000.00
(घ)	टेलरिंग शॉप (दो सिलाई मशीन एवं उससे अधिक)	200.00
(ङ)	कबाड़ की दुकान	2,000.00
37	मसाले की थोक व फुटकर दुकान	500.00
38	इन्जीनियरिंग वर्क्स, फ़ैब्रीकैटर्स एवं खराद की दुकान	1,000.00
39(क)	रसायनिक खाद (फर्टिलाइजर), कृषि रक्षा रसायन/कीटनाशक आदि की दुकान	2,000.00
(ख)	सब्जी, फल एवं अनाज के बीज की दुकान	1,000.00
(ग)	गोदाम	2,000.00
(घ)	सूचीबद्ध दुकानों के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसाय से सम्बन्धित दुकाने	500.00

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत मगहर जनपद संत कबीर नगर यह प्राविधान करती है कि उपविधियों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा रु0 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) तक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा जो प्रथम बार दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिए यदि सिद्ध होता है कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है तो रु0 100.00 (एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि न चुकाने पर छः मास तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

अनवरी बेगम,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत मगहर,
संत कबीर नगर।

कार्यालय नगर पंचायत मोहनलालगंज, लखनऊ

दिनांक 01 जुलाई, 2025 ई0

सं0 350/न0पं0मो0 (उपविधियां)/भवन निर्माण/प्रकाशन/2024-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-298 (2) के उपखण्ड (क) क, ख, ग, घ, ङ. के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत, मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ की बोर्ड बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2024 के संकल्प संख्या-138, के अन्तर्गत अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई है। उपविधियों का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से 15 दिवस के लिए दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को दैनिक सामचार-पत्र एवरीडे न्यूज प्रकाशन कराया गया था। नियत तिथि तक प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। तत्क्रम में भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2024 अन्तिम रूप से प्रकाशित करायी जा रही है जो सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से स्वतः प्रभावी मानी जायेगी। इस उपविधियों से पूर्व यदि कोई उपविधि हो तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझा जायेगा।

भवन निर्माण उपविधि-2024

1-शीर्षक—यह उपविधि नगर पंचायत मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2024 कहलायेगी।

2-परिभाषाएँ—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में —

1-“अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-संख्या-2, 1916 से है।

2-“अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के अधिशाली अधिकारी से है।

3-“बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के बोर्ड/समिति से है।

4-“अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5-“नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ से है।

6-“नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

3-नोटिस—यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत वार्ड सं0 01 सेवा खेड़ा, वार्ड सं0 03 गौरा प्रथम, वार्ड सं0 04 अहमदपुर खालसा, वार्ड सं0 06 बिन्दौवा एवं वार्ड सं0 09 गौरा द्वितीय में किसी भवन अथवा भूखण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा :—

(क) स्थल का मानचित्र—अनुज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे :—

1—स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।

2—स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू विन्यास या भूखण्डों का विभाजन।

3—समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।

4—भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

5—विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6—स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।

7—प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।

8—यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जायेगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख) भवनों का मानचित्र—भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में दिखलाया जाना चाहिए। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे :—

1—प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ियों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2—नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3—शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4—मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जायेगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

5—भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैट भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6—मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7—मान्यता प्राप्त ड्राप्टमैन/वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

8—उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग) अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे —

1-भवन का उद्देश्य —

- स्वयं रहने के लिए।
- व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।
- उद्योग धन्धों के लिए।
- रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना पत्र में दर्शाया जायेगा।

4-प्लान—इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भूखण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लॉथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

5-मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जाएगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

6-शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा :-

क्र० सं०	भवन/भूखण्ड का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	4.00	2.00
2	निवासीय भवन/भू-खण्ड (ओपन एरिया)	3.00	2.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	10.00	5.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	8.00	4.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि	15.00	10.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	10.00	5.00

1-प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2-इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लॉथ का मूल्य शामिल नहीं है।

3-नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

4-सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5-भूतल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड) भीतर की ओर खुलेंगे।

6—यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

7—धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

8—विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

7—**शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास**— ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

8—भवन में फ्लश/लैट्रिंग लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लश/लैट्रिंग के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

9—**नालियाँ**— भवन की नालियाँ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियाँ बनायी जाएगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

10—**पिलिन्थ (कुर्सी)**— भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

11—**भवन की ऊँचाई**— भूतल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

12—**(क)** भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीनेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना— बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

13—किसी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 7.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 12.00 मीटर से कम होगी।

14—जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

15—जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

16—निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/—(एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25/—(पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

राजेश कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मोहनलालगंज,
लखनऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत, अझुवा—कौशाम्बी

शुद्धि-पत्र

18 जून, 2025 ई0

सं0 161/न0पं0अ0/2025-26 राजपत्र दिनांक 31 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 10, 1947 शक संवत्) के भाग-8 में प्रकाशित निम्नलिखित उपविधियों में कुछ त्रुटियां हो गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	प्रकाशित गजट का प्रकार	त्रुटि	शुद्ध
1	ठोस उपशिष्ट प्रबन्धन विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली-2024,	शान्ती देवी अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत अझुवा	शान्ती देवी अध्यक्ष नगर पंचायत अझुवा
2	उपविधि लाईसेंसिंग शुल्क नियंत्रण नियमावली -2024	अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत अझुवा	शान्ती देवी अध्यक्ष नगर पंचायत अझुवा
3	मच्छर जनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि नियमावली-2021	शान्ती देवी अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत अझुवा	शान्ती देवी अध्यक्ष नगर पंचायत अझुवा
4	भवन निर्माण उपविधि - नियमावली-2024	—	शान्ती देवी अध्यक्ष नगर पंचायत अझुवा

रश्मि सिंह,
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत अझुवा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अव्यान श्रीवास्तव (Avyan Srivastava) पुत्र ब्रजेश नारायण श्रीवास्तव (Brijesh Narayan Srivastava) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-7473 0990 4782 में उसका नाम उर्विल श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अव्यान श्रीवास्तव (Avyan Srivastava) पुत्र ब्रजेश नारायण श्रीवास्तव (Brijesh Narayan Srivastava) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ब्रजेश नारायण श्रीवास्तव,
पुत्र एस0बी0 लाल श्रीवास्तव,
नि0 39 आर्य नगर, तेतरी बाजार,
सिद्धार्थ नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श यादव पुत्र शैलेश यादव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7762 5629 2101 में उसका नाम प्रिन्स अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श यादव पुत्र शैलेश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शैलेश यादव पुत्र हरिशंकर यादव,
साकिन-शिवदत्त छपरा खड्डा,
नेबुआ रायगंज कुशीनगर,
पडरौना उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रितिका पुत्री ओम प्रकाश है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 9237 7206 6875 में उसका नाम प्रियंका अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रितिका पुत्री ओम प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जावे।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ओम प्रकाश पुत्र श्री रामविलास,
पता-ग्राम सिकरिया खुर्द, पोस्ट शिवपुर,
थाना पनुगंज जिला सोनभद्र, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम SULEMAN AHMAD है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3686 5884 3379 में उसका नाम HOUSE RAHMAT हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम SULEMAN AHMAD पुत्र SHAMSHAD AHMAD के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शमशाद अहमद,
ग्राम पिपिरसा, पो0 नीबी नैनी,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम धर्म दास पुत्र राम धुन लाल है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार सं0-6119 8096 5691 में मेरा नाम धर्म पाल उर्फ धर्म दास अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही

नाम धर्म दास पुत्र राम धुन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

धर्म दास,
ग्राम खंजुआ जागीर पो0 धौरा,
टांडा, बरेली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सावित्री देवी पुत्री सत्य नारायण है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2963 3466 9081 में मेरा नाम कौशल्या अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सावित्री देवी पुत्री सत्य नारायण पत्नी अवधेश कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सावित्री देवी, पत्नी अवधेश कुमार पाल,
पता-ग्राम रामपुर नौडिहा,
पो0-मतवार,
थाना-हालिया, जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अहम सिंह राजवत पुत्र प्रवीण सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है तथा आधार कार्ड में अंकित है। आधार सं0-7233 1474 2176 है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अहम सिंह राजवत से बदलकर यशराज सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को यशराज सिंह पुत्र प्रवीण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रवीण सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह,
निवासी ग्राम-डरियापुर,
जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पारुल मिश्रा पुत्री विष्णु प्रसाद मिश्र है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6772 5267 5358 में उसका नाम भाव्या मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पारुल मिश्रा पुत्री विष्णु प्रसाद मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विष्णु प्रसाद मिश्र पुत्र श्री आनन्द नाथ मिश्र,
ग्राम व पो0 बबुरा कलौ, थाना-डूमण्डगंज,
ब्लाक-हालिया, तहसील-लालगंज,
जनपद-मीरजापुर (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मितांश यादव पुत्र अशोक कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8998 9852 1119 में उसका नाम सरपंच यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मितांश यादव पुत्र अशोक कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

अशोक कुमार यादव,
ग्राम हरीपुर पट्टी पो0 जंघई बाजार,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिंह साक्षी बिपिन पुत्री बिपिन सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2475 5467 5787 में मेरा नाम साक्षी बिपिन सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे सही नाम सिंह साक्षी बिपिन पुत्री बिपिन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सिंह साक्षी बिपिन पुत्री बिपिन सिंह,
पता-कान्धापुर सोनाहिता,
जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रूद्राक्ष चौहान पुत्र मनमोहन लाल है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9188 2826 8006 में उसका नाम अभिषेक चौहान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रूद्राक्ष चौहान पुत्र मनमोहन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्रीमती प्रीती चौहान ,
पत्नी श्री मनमोहन लाल,
पता-गली नं0 03 गंगा नगर,
राजापुर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम हाई स्कूल के शैक्षिक प्रमाण पत्र पर सही नाम अंकुत जायसवाल है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार

कार्ड सं0-4420 0866 2219 पर गलत नाम बिंदास जायसवाल हो गया है। यह सत्य व सही है।

अजय जायसवाल पुत्र दुर्गा प्रसाद,
मुहल्ला बहरामगंज पो0 चुनार,
जिला मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम SHUBHIKSHA SRIVASTAVA पुत्री राजेश कुमार श्रीवास्तव है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7254 0619 6328 में उसका नाम SUBEKSHA SRIVASTAVA हो गया है जो कि त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है। उसका सही नाम SHUBHIKSHA SRIVASTAVA के नाम से जानी व पहचानी जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजेश कुमार श्रीवास्तव,
पुत्र राधेश्याम,
पता-ई-1/237, मोतीझील कालोनी,
ऐशबाग, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंजली सिंह पुत्री मुकेश कुमार है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित हैं त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9820 1786 8906 में उसका नाम आराध्या सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंजली सिंह पुत्री मुकेश कुमार के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मुकेश कुमार पुत्र नरेश कुमार,
निवासी-61, स्वराज नगर,
तेलियरगंज, कावेल्लारी लाइन्स,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ऋत्विक् शर्मा पुत्र श्री रोहिणी शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड संख्या-9268 3152 5889 में उसका नाम हिमांशू शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऋत्विक् शर्मा पुत्र श्री रोहिणी शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रोहिणी शर्मा,
पता-पूरा पाण्डेय, नैनी,
प्रयागराज 209001।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शेख नाजनी फातिमा (SHEIKH NAAZNI FATIMA) है, जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक-5214679 में मेरा नाम शेख नाजनी फातमा (SHEIKH NAZNEEN FATMA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पिता का सही नाम मोहम्मद जाहीद (MOHAMMAD ZAHID) है जो उनके आधार कार्ड पर अंकित है। मेरे हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र में शेख मोहम्मद जाहिद (SHEIKH MOHD ZAHID) अंकित है जो गलत है। मेरी माता का नाम शमा तबस्सुम (SHAMA TABASSUM) है, जो उनके आधार कार्ड पर अंकित है। मेरे हाईस्कूल अंकप्रमाण पत्र में उनका नाम शेख शमा (SHEIKH SHAMA) है जो गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शेख नाजनी फातिमा,
1 डी फर्स्ट फ्लोर, पैराडाइज अपार्टमेंट,
खुर्रम नगर विकास नगर,
लखनऊ, 209001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मानस पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार संख्या-2604 1874 5904 में उसका नाम प्रखर पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मानस पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सतीश पाण्डेय,
पुत्र श्री राधे श्याम पाण्डेय,
ग्राम-बहोरीपुर पो0-हरहुआं,
तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बिट्टी दुलारी पत्नी स्व० मेहीलाल है जो मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में वोटर कार्ड तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8197 5352 4523 में मेरा नाम विपत्ति अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बिट्टी दुलारी पत्नी स्व० मेहीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बिट्टी दुलारी, पत्नी स्व० मेहीलाल,
ग्राम टिकरी उपरहार, पोस्ट अहमदपुर,
असरौली, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन सोनकर पुत्र सुरेश सोनकर है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-8415 6968 6965 में उसका

नाम सनसेट सोनकर अंकित हो गया है जो उसका घरेलू पुकारने का नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन सोनकर पुत्र सुरेश सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेश सोनकर,
पुत्र मिठाई लाल सोनकर,
पता—मिराशाह, पिंडरा, वाराणसी 221001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पीयूष कुमार पुत्र श्री पप्पू है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 2062 3392 4591 में उसका नाम कृष्ण अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पीयूष कुमार पुत्र पप्पू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पप्पू पुत्र स्व0 लऊधर,
नि0 ग्राम—अहिरी पो0—बरौत,
तह0 हंडिया, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विजय कुमार पुत्र रामबाबू है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—6056 4875 0916 में मेरा नाम प्रवीण कुमार द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विजय कुमार पुत्र रामबाबू के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय कुमार,
पता—नौडिया तरहार जसरा,
प्रयागराज 221001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिद्धि खत्री (RIDDHI KHATRI) पुत्री राज कुमार खत्री है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 7622 8033 2731 में उसका नाम आर्या खत्री अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिद्धि खत्री (RIDDHI KHATRI) पुत्री राज कुमार खत्री के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राज कुमार खत्री,
पता—203 अत्तरसुरैया शहर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रजनी देवी पुत्री लालचन्द्र है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है मैंने अपना नाम स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम रजनी देवी से बदलकर रूबी देवी रख लिया है। भविष्य में मुझे रूबी देवी पुत्री लालचन्द्र पत्नी संदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रजनी देवी,
पता—अबुल्लापुर (रुकनापुर),
माधौगंज जनपद हरदोई 207001।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-नवीन मेडिकल सेन्टर, 7 डी, लोहार बाग जिला-सीतापुर की पंजीयन संख्या SIT0020823 है, फर्म में अभी तक 04 साझेदार श्री नवीन कुमार महावर, श्री त्रिलोकी नाथ महावर, श्री विश्वनाथ महावर एवं श्री संजय कुमार साझेदार थे, जिसमें दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से फर्म की साझेदारी से दो पुराने साझेदार क्रमशः श्री त्रिलोकीनाथ महावर एवं श्री विश्वनाथ महावर आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक निकल गये हैं।

नवीन कुमार महावर,
साझेदार,
मेसर्स नवीन मेडिकल सेन्टर सीतापुर,
पता-7 डी, लोहार बाग जिला-सीतापुर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कुसुम फार्मा, प्रथम तल 484, पड़ाव थामसनगंज जेल रोड, सीतापुर की पंजीयन संख्या SIT0020822 है, फर्म में अभी तक 05 साझेदार श्री गौरव महावर, श्री नवीन कुमार महावर, श्री सौरभ महावर, श्री संजय कुमार एवं श्री शोभित महावर साझेदार थे, जिसमें दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 में फर्म की साझेदारी में एक नये साझेदार श्री विश्वनाथ महावर शामिल हो गये हैं, तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से चार पुराने साझेदार क्रमशः श्री नवीन कुमार महावर, श्री सौरभ महावर, श्री संजय कुमार, श्री शोभित महावर स्वेच्छापूर्वक आपसी सहमति से निकल गये हैं।

गौरव महावर,
साझेदार,
मेसर्स कुसुम फार्मा प्रथम तल 484,
पड़ाव थामसनगंज, जेल रोड, जिला सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम "SAYED NOUSHEEN" पुत्री अशरफ अली है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।

त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेख में उसका नाम NAUSHEEN BANO अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अशरफ अली,
निवासी -45ए/6बी डिफेन्स,
बमरौली उपरहार, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्यामा कान्त पाल पुत्र कृष्णा कान्त पाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9196 4848 8818 में मेरा नाम दीपक कुमार पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्यामा कान्त पाल पुत्र कृष्णा कान्त पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्यामा कान्त पाल,
पता-मुस्तफाबाद पोस्ट सराय अकिल,
जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विकास गौतम पुत्र कृष्ण कुमार है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5155 0578 2925 में मेरा नाम विनय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विकास गौतम पुत्र कृष्ण कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विकास गौतम,
ग्राम छिवलहा पोस्ट मऊ,
तहसील मऊ, जिला चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम Ritika Vikram पुत्री Jagdish Prasad है। परिवार रजिस्टर, शैक्षिक प्रमाण पत्र, उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में भी यही नाम अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5719 9090 6317 में मेरी पुत्री का नाम आंचल अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। अतः आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम Ritika Vikram पुत्री Jagdish Prasad अंकित किया जाये व इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जगदीश प्रसाद पुत्र रामनाथ,
निवासी-पुरे गौरिया, पोस्ट-गढ़ी,
तहसील हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी।

NOTICE

This is to inform yourself that my daughter's true name is RADHIKA SETH, daughter of Sanjeev Seth, her name have been mentioned in her educational documents. By mistake my daughter's name has been wrongly mentioned in the Adhaar Card No. 8983 5542 3294 as ADHYA SETH, which is wrong and untrue. In future my daughter's true name is being known as Radhika Seth daughter of Sanjeev Seth,

Therefore, certify that in respect of the aforesaid matter all the legal formalities has been fulfilled by him.

Sanjeev Seth,
Son of Late Ganesh Prasad Seth,
R/o 10/24B Khalasi Line,
Kanpur Nagar U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम अस्फिया खानम पुत्री गुलाम मोहम्मद था, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम अस्फिया खानम से बदल कर अस्फिया इदरीस रख लिया है। भविष्य में मुझे अस्फिया इदरीस पुत्री गुलाम मोहम्मद, पत्नी आतिफ इदरीस के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अस्फिया इदरीस,
पत्नी आतिफ इदरीस,
फ्लैट नंबर 6 एक्सेल टावर वरुणा ब्रिज,
कैंट वाराणसी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका चौधरी पुत्री विजय कुमार चौधरी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-6536 9360 2556 में उसका नाम अंशिका अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका चौधरी पुत्री विजय कुमार चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सीता चौधरी पत्नी विजय कुमार चौधरी,
निवासिनी-12 भुसहर, उंचवा,
चंदनपुर, बलरामपुर(उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष गुप्ता पुत्र लक्ष्मी चन्द्र है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-7517 9422 3906 में उसका नाम

Kreshna Gupta अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष गुप्ता (Ayush Gupta) पुत्र लक्ष्मी चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लक्ष्मी चन्द्र,
निवासी—गांधीगंज मिशन मार्ग,
पंडा बाबा गली के अन्दर,
कर्वी चित्रकूट 2020।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम विनोद कुमार पुत्र श्री जमना प्रसाद तिवारी है कुछ अभिलेखों में मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी लिखा हुआ है, मेरा सही नाम विनोद कुमार पुत्र श्री जमना प्रसाद है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार,
पुत्र श्री जमना प्रसाद तिवारी
निवासी—69, अयोध्यापुरी,
बालाजी रोड, जिला झॉसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मानस सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—6807 5186 4383 में मेरा नाम स्वंताक सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मानस सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मानस सिंह,
पुत्र विनोद कुमार सिंह,
लक्ष्मणपुरी आवास विकास कालोनी,
बड़गांव गोण्डा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अकबर सिद्दीकी पुत्र इकबाल अहमद है जो वर्ष 2016 की हाईस्कूल मार्कशीट में अंकित है, लेकिन मेरे आधार आईडी नं0—8871 8899 9565 में मेरा नाम "अकबर लिखा" हुआ है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अकबर सिद्दीकी पुत्र इकबाल अहमद से जाना व पहचाना जायेगा।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अकबर सिद्दीकी,
पुत्र इकबाल अहमद,
निवासी वार्ड नं0—6 मंगलवारीबाजार,
मांडा खास, भारतगंज, थाना माण्डा,
प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेदान्श पुत्र हरीनारायण है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—2520 6818 5593 में उसका नाम शुभेन्द्र अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेदान्श पुत्र हरीनारायण के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हरीनारायण पुत्र ओम प्रकाश शुक्ल,
ग्राम पुरानी तिन्दवारी हनुमान नगर,
तिन्दवारी बांदा—जिला बांदा, तहसील बांदा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम फारिहा हक (Fariha Haque) पुत्री स्व० इसरारुल हक था जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम फारिहा हक से बदलकर फारिहा नुज़हत (Fariha Nuzhat) पुत्री स्व० इसरारुल हक, पत्नी श्री इरफान उद्दीन सिद्दीकी रख लिया है। भविष्य में मुझे फारिहा नुज़हत पुत्री स्व० इसरारुल हक, पत्नी श्री इरफान उद्दीन सिद्दीकी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

फारिहा नुज़हत,
पुत्री स्व० इसरारुल हक,
पत्नी श्री इरफान उद्दीन सिद्दीकी,
नि०-26 बख्तियारी, पुराना कटरा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम त्रयंबकेश्वर नाथ पाण्डेय पुत्र त्रिभुवन नाथ पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-7997 2557 7660 में उसका नाम दिव्य त्रिभुवन नाथ पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम त्रयंबकेश्वर नाथ पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

त्रिभुवन नाथ पाण्डेय,
ग्राम शीतल पाण्डेय का पुरवा,
भावनपुर डेरवा, जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जानकी प्रसाद त्रिपाठी पुत्र प्रदीप कुमार त्रिपाठी है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने

ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम जानकी प्रसाद त्रिपाठी से बदलकर विरांश त्रिपाठी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को विरांश त्रिपाठी (Viransh Tripathi) पुत्र प्रदीप कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रदीप कुमार त्रिपाठी,
पुत्र रमाकान्त त्रिपाठी,
निवासी-1146 गोमती नगर,
पूरब आस्था अस्पताल के पीछे,
सुल्तानपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सृष्टि राज सूरी पुत्र दिनेश कुमार सूरी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम सृष्टि राज सूरी से बदल कर अविराज सूरी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अविराज सूरी पुत्र दिनेश कुमार सूरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिनेश कुमार सूरी,
पता-एम०एम०डी 1/478,
एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड,
लखनऊ।

सूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-मास कान्सट्रक्शन्स, 104, एफ०आई० ढींगरा, अपार्टमेन्ट 60, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, जिला-लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म की साझेदारी में 04 साझेदार

क्रमशः शहाब अहमद पुत्र एम० ए० सिद्दीकी, मो० आसिफ पुत्र मो० याकूब मो० असद खान पुत्र स्व० मो० अली खान एवं अब्दुल अव्वल सिद्दीकी पुत्र स्व० अब्दुल अजीज सिद्दीकी थे जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 से दो साझेदार क्रमशः मो० आसिफ एवं अब्दुल अव्वल सिद्दीकी फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा एक नये साझेदार अहमद इकबाल बेग पुत्र स्व० इकबाल रजा दिनांक 31 मार्च, 2025 से शामिल हो गये वर्तमान में तीन साझेदार क्रमशः शहाब अहमद, मो० असद खान एवं अहमद इकबाल बेग फर्म में साझेदार हैं।

शहाब अहमद,
साझेदार,
मेसर्स—मास कान्सट्रक्शन्स,
104, एफ०आई० ढींगरा, अपार्टमेन्ट,
60, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग,
लालकुआ, जिला—लखनऊ

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स “पलक इण्टर प्राइजेज रामपुर रोड बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश” नामक फर्म में भागीदार रितेश जैन पुत्र स्व० अजीत कुमार जैन निवासी मौहल्ला साहूकारा तहसील एवं डाकखाना बिलासपुर जिला रामपुर का स्वर्गवास दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को एवं नईम खान पुत्र स्व० मौहम्मद शफी खान निवासी मौहल्ला घेरतांगा थाना गंज तहसील एवं डाकखाना रामपुर जिला रामपुर का स्वर्गवास दिनांक 03 सितम्बर, 2019 को हो गया है। राजीव कुमार जैन पुत्र श्री आनन्द कुमार जैन, सम्भव जैन पुत्र श्री नरेश कुमार जैन, नरेश कुमार जैन पुत्र स्व० राजकुमार जैन निवासी गण मौहल्ला साहूकारा तहसील एवं डाकखाना बिलासपुर जिला रामपुर के द्वारा भागीदारी को विघटित करते हुए विघटन विलेख दिनांक 21.06.2025 को निष्पादित कर दिया है। भागीदारों पर फर्म की एवं फर्म पर भागीदारों की कोई लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है। फर्म के विघटन के समय फर्म की कोई सम्पत्ति शेष नहीं है।

राजीव कुमार जैन,
पार्टनर,
मेसर्स पलक इण्टर प्राइजेज,
रामपुर रोड बिलासपुर जिला रामपुर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म में—किसान कोल्ड स्टोरेज, पता—म०नं० 747, अवधपुरी रोड, लखनपुर, विकास नगर, कानपुर नगर—208024 के पते से पंजीकृत है जिसका पंजी० सं० K-11759 पर दिनांक 05 जुलाई, 2016 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 के अनुसार फर्म में श्रीमती बबिता देवी, श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, श्रीमती अर्चना गंगवार, श्री रजत गंगवार, श्री अश्वनी गंगवार साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 07 जून, 2025 के अनुसार साझीदारी से साझीदार श्रीमती बबिता देवी साझीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गयी हैं और अब फर्म श्री. रवीन्द्र सिंह गंगवार, श्रीमती अर्चना गंगवार, श्री रजत गंगवार, श्री अश्वनी गंगवार भागीदार हैं।

रवीन्द्र सिंह गंगवार,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s Sanskar Multi Speciality Hospital Near Kala Aam Bulandshahr की संशोधित साझीदारी दिनांक: 01 अक्टूबर, 2018 के अनुसार डा० अनिल कुमार एवं डा० मोहित गुप्ता साझीदार हैं। दिनांक: 01 अगस्त, 2024 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार डा० अलका साझीदारी में सम्मिलित हुई है तथा डा० मोहित गुप्ता हिसाब किताब ले देकर अलग हो गये हैं। वर्तमान साझीदारी में डा० अनिल कुमार एवं डा० अलका साझीदार हैं।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

डा० अनिल कुमार,
साझीदार,
M/s Sanskar Multi Speciality Hospital,
Near Kala Aam Bulandshahr.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पलक इण्टर प्राइजेज रामपुर रोड बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश नामक फर्म में दिनांक 25 अगस्त,

2015 को पार्टनर अजीत कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय डी. के. जैन रामपुर रोड बिलासपुर जिला रामपुर का स्वर्गवास हो चुका है तथा दिनांक 21 जून, 2025 को सम्भव जैन पुत्र श्री नरेश कुमार जैन निवासी मौहल्ला साहूकारा तहसील एवं पोस्ट ऑफिस बिलासपुर जिला रामपुर भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर स्वर्गवासी पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है। वर्तमान में फर्म में दो पार्टनर श्री राजीव कुमार जैन व सम्भव जैन हो गये हैं।

राजीव कुमार जैन,
पार्टनर,
मेसर्स पलक इण्टर प्राइजेज,
रामपुर रोड बिलासपुर, जिला रामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्रीजी एसोसिएट्स पता शॉप नं० 30 सैकेण्ड पलौर आनंदम स्कार्य आनंदम स्टेट विला आनंदम विलेज धारगल जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनर शिप 15 अप्रैल, 2025 को हुई थी जिसमें पहले तीन पार्टनर थे (1) राखी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता (2) मानसी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता (3) निशांत गर्ग पुत्र श्री प्रमोद कुमार थे। संशोधित साझेदारी दिनांक 05 जुलाई, 2025 को साझेदार नं० (3) निशांत गर्ग पुत्र श्री प्रमोद कुमार जी स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है। तथा अब इस फर्म में अब क्रम से दो साझेदार (1) राखी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता (2) मानसी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता हो गये हैं।

राखी गुप्ता,
साझेदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री मुरली मनोहर ट्रेडर्स, मिर्चों वाली गली, श्यामगंज, बरेली, उ०प्र० पिनकोड 243005 (पंजीकरण संख्या BAR/0011990) फर्म में कुल 2 साझेदार-आकाश गुप्ता, श्रीमती डिम्पल गुप्ता थे, साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 04 जून, 2025 को फर्म में एक नया साझेदार श्रियांश गुप्ता शामिल किया है अब फर्म में कुल 3 साझेदार आकाश गुप्ता, श्रीमती डिम्पल

गुप्ता व श्रियांश गुप्ता हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

आकाश गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स श्री मुरली मनोहर ट्रेडर्स,
बरेली, उ०प्र०।

NOTICE

It is hereby notified that Shri Samir Jain, partner in M/s Arihant Dewatering Systems, Reg with Registrar of Firms vide Regn. No. 696, having its office at 146, Anand Industrial Estate Mohan Nagar, Ghaziabad (U.P.)-201007, passed away on 12.05.2025.

The firm shall continue under the same name and style by remaining partners:

Mr. Sushant Bansal, Mrs Sunita Bansal and Mrs. Shikha Rani Jain.

There is no change in firm name, nature of business, business address, or constitution-no retirement or admission of new partners.

This notice is issued in public interest.

For M/s Arihant Dewatering Systems:

Sushant Bansal
Partner.

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मानसी (MANSI) पुत्री कमला प्रसाद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-8692 5576 3970 में उसका नाम कुमारे मानसी (KUMARE MANSEE) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मानसी (MANSI) पुत्री कमला प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

कमला प्रसाद,
पता-नूरपुर, पो० पयागपुर,
जनपद-बहराईच।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवम कुमार पुत्र शिवप्रसाद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-6492 0274 4096 में मेरा नाम शिव कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवम कुमार पुत्र शिवप्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

शिवम कुमार, पुत्र शिवप्रसाद,
पता-ग्राम बितरेखी, पोस्ट व थाना घेरावल,
जिला सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम कुलदीपक द्विवेदी है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेखों तथा मेरे इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक-1027604/2020 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक पत्र, प्रमाण पत्र अनुक्रमांक-5111403/2018 में मेरे पिता का नाम दीपक द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूरज द्विवेदी,
निवासी-118/238 कौशलपुरी गुमटी,
नं०-5 कानपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सार्थक पटेल पुत्र आशुतोष है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-8392 4864 6765 में उसका नाम आशू अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सार्थक पटेल पुत्र आशुतोष के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आशुतोष,
निवासी-ग्राम व पोस्ट-इसिया,
थाना बछरावाँ, जिला रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रभात वर्मा पुत्र संदीप वर्मा है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2429 6561 8544 में मेरा नाम उस्मान अली अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रभात वर्मा पुत्र संदीप वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रभात वर्मा पुत्र संदीप वर्मा,
सोरहिया, बाबागंज,
बहराइच उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जीविका सक्सेना पुत्री श्री विकास आनन्द सक्सेना है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-6544 6095 1198 में उसका नाम यशी सक्सेना अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जीविका सक्सेना पुत्री श्री विकास आनन्द सक्सेना के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पूजा सक्सेना,
पत्नी श्री विकास आनन्द सक्सेना,
पता-C/o विकास आनन्द सक्सेना,
287 बाग गुलेशर खां निकट दुर्गा मन्दिर,
पीलीभीत।